

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु

Hindi

कानूनी और सामाजिक मुद्दों की कमेटी के सुझाव

जून 2016 में, एक अंतर-पार्टी संसदीय कमेटी ने जीवन का अंत करने के विकल्पों की जाँच की रिपोर्ट संसद में पेश की।

कमेटी ने 49 सुझाव रखे, जिनमें से 29 प्रशामक देखरेख (पैलियेटिव केयर) और 18 अग्रिम (एडवांस) देखरेख योजना से सम्बन्धित थे।

इनके सुझावों में सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए कानूनी ढाँचा बनाना और सरकार से सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु को लागू करने की माँग करना शामिल था।

कमेटी को 1000 से अधिक सामुदायिक और विशेषज्ञ निवेदनों से जानकारी मिली थी। कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और उन देशों के अनुभवों का भी प्रयोग किया था जहाँ सहायता प्रदान करके इच्छामृत्यु वैध है।

सरकारी वचनबद्धता

दिसम्बर में, सरकार ने यह घोषणा की कि वे उन विक्टोरियाई लोगों के लिए सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए कानून प्रस्तावित करेंगे जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं और किसी गंभीर तथा लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें स्थायी कष्ट और असहनीय पीड़ा हो रही है।

प्रस्तावित कानून कमेटी के 49 सुझावों के अनुरूप होगा।

फिर संसद सरकार के प्रस्तावित कानून पर मतदान करेगी। यह मतदान संसद के सदस्यों के लिए स्वतंत्र मतदान होगा, जिसका अर्थ यह है कि राजनैतिक दल अपने सदस्यों को किसी निश्चित तरीके से मतदान करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का सुझाव

कमेटी ने क्या सुझाव दिया था?

- कमेटी ने सहायता प्राप्त मृत्यु के एक ढाँचा तैयार करने का सुझाव दिया था ताकि फैसला लेने की क्षमता वाले उन वयस्कों को किसी निश्चित परिस्थितियों में मृत्यु के लिए सहायता प्राप्त हो सके जो किसी गंभीर और लाइलाज समस्या से पीड़ित हैं और अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं।
- डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएँ सहायता प्राप्त मृत्यु में भाग लेने के विरुद्ध नैतिक रूप से से आपत्ति कर सकेंगे।

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का उपयोग कौन कर पाएगा?

- यह आवश्यक है कि व्यक्ति:
 - वयस्क हो और उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो;
 - विक्टोरिया का सामान्य निवासी हो और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी (परमानेंट रेज़िडेंट) हो;
 - जीवन के अंतिम चरण (जीवन के अंतिम सप्ताह या महीने) में हो;
 - किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जिसके कारण उसे स्थायी और असहनीय पीड़ा हो रही हो जिससे किसी ऐसे तरीके से राहत न दिलाई जा सकती हो जो रोगी को सहनीय लगे;
 - वे इसके लिए स्वयं निवेदन करे;
 - सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए स्थायी निवेदन दर्शाए और इसके लिए तीन बार निवेदन करे – एक शुरूआती मुँह-ज़बानी निवेदन, एक औपचारिक लिखित निवेदन जिस पर दो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये हों और अंतिम बार मुँह-ज़बानी निवेदन; और
 - उसका निर्धारण (एसेसमेंट) प्राथमिक (प्राइमरी) और माध्यमिक (सेकेंडरी) डॉक्टर द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि व्यक्ति को पूरी तरह से सही जानकारी है; उन्हें इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि व्यक्ति का अनुरोध स्थायी है और वे निवेदन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करेंगे।

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का उपयोग कौन नहीं कर पाएगा?

- सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पात्रता के मानदण्ड बहुत कड़े हैं, और निम्नलिखित लोग सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के पात्र नहीं होंगे;
 - वे लोग जो केवल मानसिक रोग से पीड़ित हों
 - 18 साल से कम आयु वाले बच्चे
 - वे लोग जो जीवन के अंतिम महीनों या सप्ताहों में न हों
 - वे लोग जो किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित न हों
 - वे लोग जो स्थायी और असहनीय पीड़ा से ग्रस्त न हों
 - वे लोग जो स्वयं निवेदन करने योग्य न हों।
- व्यक्ति समय से पूर्व सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन नहीं कर सकता है, उदाहरणतः, वे व्यक्ति जो अग्रिम देखरेख योजना या अग्रिम देखरेख निर्देश में हों।
- कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन नहीं कर सकता है। यह निवेदन स्वयं उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और यह हमेशा अपनी इच्छा से होना चाहिए।

अगले कदम

- कमेटी ने सहायता प्राप्त मृत्यु के कानून के लिए एक स्पष्ट ढाँचा प्रदान किया है परन्तु एक ऐसी व्यावहारिक योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिक काम करने की ज़रूरत है जो अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के लिये मज़बूत सुरक्षा व संरक्षण प्रदान कर सके।
- सरकार ने एक विशेषज्ञ मंत्रीस्तरीय सलाहकार दल (पैनल) की स्थापना की है जिसमें नैदानिक (क्लिनिकल), कानूनी और उपभोक्ता संबंधी विशेषज्ञ शामिल हैं।

- इस दल (पैनल) के कामों में कमेटी की खोजों और सुझावों के आधार पर सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए कानूनी ढाँचे को विकसित और लागू करने सम्बन्धी विषयों के विवरण के बारे में सुविचारित और विशेषज्ञ परामर्श का अनुसरण करना शामिल है।
- दल(पैनल) अपने विकास और कार्यान्वयन के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोणों वाले प्रमुख साझेदारों से संपर्क कर रहा है और उनकी विशेषज्ञता (एक्सपर्टिज़) तथा अनुभव का उपयोग कर रहा है ताकि सहायता प्राप्त करके मृत्यु के लिए एक सहानुभूतिशील और सुरक्षित ढाँचा तैयार करने में अभिगमन (एक्सेस), संरक्षण (सेफ़गार्ड) तथा व्यावहारिक बातों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के सबसे अच्छे तरीके पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए जा सकें।
- परामर्श प्रक्रिया के भाग के तौर पर एक चर्चा-पत्र (डिस्कशन पेपर) उपलब्ध है जो उन मुख्य मुद्दों और सवालों को उठाता है जो एक सहानुभूतिशील, व्यावहारिक कानूनी ढाँचे का निर्माण करने सम्बन्धी निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेंगे।
- दल (पैनल) अप्रैल 2017 में एक अंतरिम रिपोर्ट और जुलाई 2017 में एक अंतिम रिपोर्ट जारी करेगा।
- दल (पैनल) जिन क्षेत्रों पर विचार करेगा उनमें शामिल हैं:
 - अंतिम रिपोर्ट में प्रयोग की गई शब्दावली और स्पष्ट कानून बनाने के लिए आवश्यक परिभाषाएँ।
 - सुनिश्चित करना कि कानूनी ढाँचे में पात्रता मानदण्ड को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
 - सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु से जुड़े व्यक्तियों और उनके समुदाय को पेश आने वाले खतरों को कैसे कम किया जाए।
 - सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु खतरों और कार्यविधियों पर ध्यान देने के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
 - स्वास्थ्य व्यावसायी के विवेक की स्वतंत्रता का बचाव।
 - निरीक्षण की उचित कार्यविधियों की स्थापना करना।
 - विद्यमान स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली से संपर्क रखना।

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Department of Health and Human Services, February, 2017. (1701015)

Available at <https://www2.health.vic.gov.au/about/health-strategies/government-response-to-inquiry-into-end-of-life-choices-final-report>